

न्यायालय तहसीलदार श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

मुकदमा नम्बर 89/2015 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956
उनवान : राज्य सरकार बनाम नारायणराम, मालूराम, रामेश्वर, गोपालराम, खमी, लाघी
निर्णय दिनांक 31.01.2019

निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जैसलसर अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि गैर सायल सुगनी पत्नी मधाराम जाति लुहार निवासी सालसर द्वारा ग्राम सालसर के खसरा नम्बर 327 तादादी 4.40 है। एवं खसरा नम्बर 334 तादादी 6.78 है किस्म भूमि बीड बिला भूमि में से 2.25 है व 6.25 हैक्टेयर भूमि पर सम्बत् 2072 में नाजायज बाजरा, मोठ, ग्वार काश्त कर अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत् तामिल कराया गया, बाद नोटिस तामिल के गैर सायल वकील ने निर्धारित तारीख पेशी को न्यायालय में उपस्थित होकर नोटिस जवाब पेश करने हेतु समय चाहा। परन्तु गैर सायल को बार-बार जवाब नोटिस पेश करने एवं अन्य किसी न्यायालय का स्थगन होने की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी गैर सायल द्वारा जवाब नोटिस एवं अन्य किसी न्यायालय का स्थगन होने की प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय में पेश नहीं की गई हैं। इसलिये गैर सायल के विरुद्ध दिनांक 31.01.2019 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।


उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत् कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर नाजायज बाजरा, मोठ, ग्वार काश्त कर अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई संतोषजनक जवाब/प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल नारायणराम, मालाराम, रामेश्वर, गोपालराम, खमी, लाघी का उक्त खसरा नम्बर 327 व 334 तादादी 4.40 है व 6.78 है। बीड बिला भूमि में से 2.25 हैक्टेयर व 6.25 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल नारायणराम, मालूराम, रामेश्वर, गोपालराम, खमी, लाघी अतिक्रमी की श्रेणी में आते हैं।

अतः गैर सायल नारायणराम, मालाराम, रामेश्वर, गोपालराम, खमी, लाघी पुत्रगण सुगनी पत्नी मधाराम जाति लुहार निवासी सालसर द्वारा ग्राम सालसर के आराजी ख.नं. 327 व 334 तादादी 4.40 है व 6.78 है। बीड बिला भूमि में से 2.25 हैक्टेयर व 6.25 हैक्टेयर भूमि का सम्बत् 2075 का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान 2.25 एवं 6.25 कुल 8.50 रुपये का 50 गुणा से 425.00 रुपये की शास्ती आरोपित की जाती है।

त.रा.ले. को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू.अ.नि. को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ़्तर हो।




तहसीलदार
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर) राज